


12/6/24 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपरिष्पत।  
वकील वादीगण ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत  
कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी  
के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है।  
वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी  
को बेचना करना जादिर किया। तदुसीलद्वारा  
सीमलवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी  
वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीकी  
पत्नी को बेचना करना व्यक्त किया है।  
अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा  
का प्रार्थना-पत्र एवं वादीगण द्वारा प्रतिवादी  
की पत्नी को जमीन बेचना कर देने के  
तथ्य से यह वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद  
अग्रिज किया जाता ह्योयान्ति स्वीत  
होता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद  
अग्रिज किया जाता है। पत्रावली फंसत  
शुमार होकर दाखिल दफतर होवे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा